न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

"प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021"

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
75/2019	11.06.2019	30.11.2021

अनवान

1. कालु पुत्र हीरा जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. रतनी पत्नि हीरा जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भगवानी पत्नि उंकार जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. भेरा पिता उदा जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. भेरा पिता भूरा जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. भगवानलाल पिता लक्ष्मण जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. नानुराम पिता परसराम जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. भोलीबाई पत्नि सोला जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री रतनलाल टांक प्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.04 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थीगण व प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के पूर्व में दिनांक 11.06.2019 को प्रस्तुत किया । जिस पर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 से 6 के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 30.03.2021 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। वकील प्रार्थीगण आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र मुंगाना में हाजिर हुए। हाजिर वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर बहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी

गई। जिसमें वकील प्रार्थीगण ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, वकील प्रार्थीगण ने बताया कि मौजा कल्याणपुरा पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन के खाता संख्या 17 की आराजी संख्या 1183/462, 1184/603, 463, 548 कुल किता 4 कुल रकबा 0.97 है0 कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थीगण को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074 – 2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के खाता संख्या 17 के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा कल्याणपुरा पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन के खाता संख्या 17 की आराजी संख्या 1183/462, 1184/603, 463, 548 कुल किता 4 कुल रकबा 0.97 है0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.04 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested